संख्या–150 / 79–6–2010

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0)
उ0प्र0 लखनऊ ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 8 अप्रैल,2010

विषय–वेतन समिति–2008 की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन संरचन में वेतन बैण्ड एवं वेतन ग्रेड की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कम में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध ऐसे प्राथमिक विद्यालयों जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त है, के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 01 दिसम्बर 2008 को सेवा में थे, को सलग्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित वेतनमानों के स्थान पर स्तम्भ–3 में उल्लिखित उच्चीकृत वेतनमानों के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्तम्भ –4 व 5 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी 2006 से / दिनांक 1 जनवरी 2006 से 30 नवम्बर 2008 के मध्य सेवा में प्रवेश /नियुक्त होने की दशा में सेवा में प्रवेश/नियुक्ति की तिथि से प्रकल्पित आधार पर स्वीकृत करते हुए उसका वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संस्थाओं के ऐसे शिक्षक जो दिनांक 01 दिसम्बर 2008 या उसके पश्चात् सेवा में आये हों, उन्हें संबंधित पद के सम्मुख शासनादेश के साथ तालिका में उल्लिखित संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमन्य होगा ।

2– उक्तानुसार उच्चीकृत वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन में संबंधित पदधारक का वेतन काल्पनिक रूप से शासनादेश सं0–वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/08 टी0सी0 दिनांक 8 दिसम्बर, 08 की व्यवस्थानुसार, निर्धारित करते हुए वास्तविक लाभ/नगद भुगतान दिनांक 1 दिसम्बर,08 से दिया जायेगा ।

3– साधारण वेतनमान के शिक्षक को ग्रेड–।।। (उदाहरण स्वरूप सम्बद्ध प्राथमिक शिक्षक के साधारण वेतनमान के शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक ग्रेड–।।।) तथा समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत चयन वेतनमान प्राप्त शिक्षक को ग्रेड–।। एवं पदोन्नति वेतनमान प्राप्त शिक्षक को ग्रेड–। पदनाम दिया जायेगा । चयन वेतनमान अथवा पदोन्नति वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में संबंधित शिक्षक को वर्तमान में मिल रहे बैण्ड वेतन (वेतन बैण्ड

वेतन) के साथ चयन वेतनमान/पदोन्नति वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन अनुमन्य
हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-339/दस-2010 दि
7-4-10 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं ।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव ।

पृष्ठांकन समसंख्यक दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 लखनऊ ।
2-सचिव (माध्यमिक/बेसिक) शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- वित्त नियंत्रक (माध्यमिक/बेसिक) शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4- समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 /जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 ।
5-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
6-वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 तथा 2 (3-3 प्रतियों में)
7- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(एफ0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-150/79-6-2010-1189/09 दिनांक 8 अप्रैल, 2010 का संल

अध्यापक	वर्तमान वेतनमान/ग्रेड	संशोधित वेतनमान/ग्रेड	सादृश्य वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन	
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
माध्यमिक शिक्षा सम्बद्ध प्राथमिक शिक्षक				
(क) साधारण वेतनमान	4500-7000	ग्रेड-III 6500-10500	वेतन बैण्ड-2 (रू09300-34800)	4200
(ख) चयन वेतनमान	5000-8000	ग्रेड-II 7450-11500	-तदैव-	4600
(ग)प्रोन्नत वेतनमान	5500-9000	ग्रेड-I 7500-12000	-तदैव-	4800

(एम0एन0 प्रधान)
संयुक्त सचिव ।